न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2017
प्रविष्टि दिनांक 16.02.2017

सरकार जरिए तहसीलदार देवली

—प्रार्थी

बनाम

असलम खां पुत्र अब्दुल सत्तार खां जाति मुसलमान सा. कुन्देडा हाल आबाद

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री महेश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

अभिशंषा दिनांक 27.08.2021

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार देवली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 3 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम कुन्देडा मे अप्रार्थी असलम खां पुत्र अब्दुल सत्तार खां जाति मुसलमान निवासी कुन्देडा तहसील देवली को यह रकबा भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.06.1989 को कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया है,जिस पर दिनांक 26.06.1989 को जरिये नामान्तकरण संख्या 272 के द्वारा गैर खातेदारी दर्ज की गई हैं। नकल जमाबंदी सम्वंत 2070—2073 वाके ग्राम कुन्देडा मे भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.75 है0 भूमि असलम खां पुत्र अब्दुल सत्तार खा कोम मुसलमान की गैर खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना मे प्रथम एंव द्वितीय वर्ष मे काश्त नही की गई है। ग्राम कुन्देडा की भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 की उद्घोषणा दिनांक 23.11.1989 को हो चुकी थी,जिसके बाद राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा–16 (6) मे वर्णित भूमियो पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है,इसके बावजूद भी बिना आवंटन शर्तो की पालना किये बिना ही भूमि गैर खातेदारी मे दर्ज कर दी गई है।तहसीलदार देवली ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरा गया नामान्तरकरण सं0 272 दिनांक 26.06.1989 को निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पे[illegible] अनुसार आवंटन शर्तो की पालना की है। विधि अनुसार ही अप्रार्थी को आवंटित [illegible] कब्जा सुपुर्द कर सुपुर्दगी नामा दिया गया गया है। उसी दिन से अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि [illegible] काबिज काश्तकार है। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पश्चात ही अप्रार्थी के पक्ष मे आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। राजस्व अधिकारियो द्वारा विधि के प्रावधानो की पालना करते हुये ही दिनाक 25.06.1989 को अप्रार्थी को भूमि आवंटित की गई है। राजस्व अधिकारियो की किसी भी कमी या गलती का अनुचित नुकसान अप्रार्थी को नही पहुंचाया जा सकता है। पूर्व मे अप्रार्थी के विरूद्व भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर द्वारा भी कार्यवाही की गई थी,जिसमे लेण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा पर्चा मौका रिपोर्ट तथा जवाब पेश नही किया गया था,जिस पर अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। इसलिये अब उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार का अलोच्य आदेश पारित नही किया जा सकता है। अप्रार्थी के हक मे सही रूप से नामान्तकरण तस्दीक किया है,जो नियमानुसार सही एंव वैध है।पूर्ण जांच पडताल के बाद नामान्तरकण तस्दीक किया गया है,जिसे अब निरस्त नही किया जा सकता और उसी की पालना मे अप्रार्थी उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का वैध अधिकारी है।अप्रार्थी को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की गरज से तथाकथित रेफरेंस किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.75 है0 भूमि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.06.1989 को आवंटन हुई थी। रेंफरेंस नियमानुसार पेश किया गया है। रेफरेस प्रस्तुत करने मे मियाद लागू नही होती है। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 की उद्घोषणा दिनांक 23.12.1989 को हो चुकी थी। राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा–16 (6) मे वर्णित भूमियो पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन करने के पश्चात अप्रार्थी का प्रथम वर्ष मे 50% और द्वितीय वर्ष मे सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना चाहिये था, परन्तु खसरा गिरदावरी सम्वंत 2050–2051 मे अप्रार्थी द्वारा काश्त नही करना अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी का कब्जा काश्त प्रथम के 2 वर्षो मे नही है,जबकि नियमानुसार प्रथम के 2 वर्षो मे काश्त करना अनिवार्य है। आवंटन अवैध था क्योकि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरू हो गई थी। धारा 4 की उद्घोषणा सार्वजनिक होती है। राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा–16 (6) के तहत आवंटन अवैध है। गैंर खातेदारी वापस ली जा सकती है। उक्त भूमि अवाप्त हो चुकी है। गैर खातेदार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी को किया गया आवण्टन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 272 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे। राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2003 (1)पेज 671 उद्वरित किये है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दोराने बहस जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.75 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्देडा पर अप्रार्थी का गत 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी को वर्ष 1989 मे आवंटन हुआ है और तहसीलदार देवली द्वारा वर्ष 2017 [illegible] हाजा मे प्रस्तुत किया है जो लगभग 30 वर्ष बाद पेश किया गया है,हालांकि मियाद लागू नही होती है,लेकिन अत्यधिक विलम्ब उचित नही है। खसरा गिरदावरी सम्वंत 2052–205[illegible] सरसो की फसल काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

Scanned by CamScanner

भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत तरीके से आवंटन कर दिनांक 03.04.1990 को उक्त भूमि अप्रार्थी को सुपुर्दगी मे दी गई है। जिसके उपरान्त अप्रार्थी के हक मे गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 26.06.1989 तरदीक किया गया है। इस दिनांक को अन्य व्यक्तियो को भी आवंटन हुआ है। अप्रार्थी का आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। तहसीलदार देवली द्वारा एक मात्र व्यक्ति के विरूद्व रेंफरेंस प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है। अप्रार्थी अनपढ होने से खातेदारी की कार्यवाही नही कर सका। पत्रावली मे मौका रिपोर्ट नही है। तथाकथित प्रकरण पर धारा 82 लागू नही होती है। भू–आवंटन सलाहकार समिति की गलती के लिये काश्तकार को दण्डित नही किया जा सकता हैं। तहसीलदार देवली द्वारा धारा 82 के तहत रेंफरेंस प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दो वर्ष मे अप्रार्थी द्वारा काश्त नही करने पर तहसीलदार देवली द्वारा 14(4) की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। पत्रावली मे उद्घोषणा का प्रमाण पत्र/दस्तावेजात नही है। अप्रार्थी के पास जो भूमि है वह राज0 टि0एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि नही है। नियमानुसार अप्रार्थी की गैर खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. डी 1982 पेज 298,आर.बी.जे 2013 पेज 262, उद्वरित किये है।

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत दृष्टान्त का गहन अध्ययन किया। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 25.06.1989 को 3 बीघा भूमि असलम खां पुत्र अब्दुल सत्तार खां जाति मुसलमान निवासी कुन्देडा के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में असलम खां को दिनांक 26.06.1989 को नामान्तरकरण सं0 272 के द्वारा गैर खातेदारी दर्ज की गई।

भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन करने के पश्चात अप्रार्थी का उक्त भूमि पर प्रथम वर्ष मे 50% और द्वितीय वर्ष मे सम्पूर्ण भूमि पर काश्त नही रहा है, जो खसरा गिरदावरी सम्वंत 2050–2051 वाके ग्राम कुन्देडा तहसील देवली से प्रमाणित है। इस प्रकार अप्रार्थी का कब्जा प्रथम के 2 वर्षो मे नही रहा है,जबकि नियमानुसार प्रथम के 2 वर्षो मे काश्त करना अनिवार्य है। आवंटन अवैध था क्योकि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरू हो गई थी। धारा 4 की उद्घोषणा सार्वजनिक होती है। राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा–16 (6) के तहत आवंटन अवैध है। उक्त भूमि अवाप्त हो चुकी है। अप्रार्थी को किया गया आवण्टन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2003 (1)पेज 671 अनुसार रेंफरेंस प्रस्तुत करने मे मियाद लागू नही होती है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे 2013 पेज 262 प्रकरण खातेदारी अधिकार समाप्त करने से संबंधित है तथा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1982 पेज 298 भी खातेदारी अधिकार निरस्त करने से संबंधित है। प्रस्तुत रेंफरेंस प्रकरण मे अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है। अतः अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनो न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण मे अक्षरशः चस्पा नहीं होते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

चूँकि ग्राम कुन्देडा की भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 की उद्घोषणा दिनांक 23.11.1989 को हो चुकी थी.जिसके बाद राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा–16(6) मे वर्णित भूमियो पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेंफरेंस को स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि असलम खां पुत्र अब्दुल सत्तार खा जाति मुसलमान निवासी कुन्देडा तहसील देवली को प्रकरण संख्या 532/1989 दिनांक 25.06.1989 द्वारा खसरा नम्बर 72 रकबा 3 बीघा हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.75 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्देडा मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री असलम खां के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 272 दिनांक 26.06.1989 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.75 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्देडा को पुनः सिवायचक भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलक्टर,टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner